

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम-26)

न्यायालय आर्बीट्रेटर डेडीकेटेड, फ्रेट कॉरीडर रेल परियोजना एवं संभागीय आयुक्त अजमेर

वीरमति सॉफ्टवेयर बनाम कलक्टर (अध्यक्ष) ई-मित्र सोसाइटी टोंक

किस्म मुकदमा/बाज.प्रा.पत्र/आर्बीटेशन/नं. 158 सन् 2019 जिला टोंक

(2019/00158)

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.2019	<p>पत्रावली पेश हुई । यह बाजदायरी प्रार्थना-पत्र मूल आर्बीटेशन प्रकरण प्रार्थना पत्र संख्या 02/2013 (2013/00121) वीरमति सॉफ्टवेयर बनाम कलक्टर (अध्यक्ष) ई-मित्र सोसाइटी टोंक में निर्णय दिनांक 25.05.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश के विरुद्ध प्रार्थी अभिभाषक अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अभिभाषक को एक तरफा सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । वहस प्रार्थना पत्र पर मनन उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । प्रार्थना पत्र सम्बंधित मूल आर्बीटेशन प्रकरण प्रार्थना पत्र संख्या 02/2013 (2013/00121) जिला टोंक पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> संभागीय आयुक्त अजमेर</p>	